



यू पी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड

U.P. Electronics Corporation Limited

Registered Office : 10. Ashok Marg, Lucknow-226001 Ph. 0522-2286808, 2286809, 2286816, 2288750, 4130301-25 Ext. 301 to 325, Fax : 0522-2288583

E-mail : md@uplc.in, upclko@gmail.com Website : http://www.uplc.in //UP Electronics Corporation Limited @UpElectronicsCo

सन्दर्भ:यूपीएलसी:स्टार्टअपनीति-2020(2021-22)/683

दिनांक सितम्बर 2021

07-10-2021

कुलपति

सी0एस0जे0एम0 यूनिवर्सिटी,

कल्यानपुर, कानपुर,

उत्तर प्रदेश-208024

विषय: इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु सी0एस0जे0एम0 यूनिवर्सिटी, कानपुर को "उ0प्र0 स्टार्ट-अप नीति-2020" के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति की सूचना।

महोदय,

उ0प्र0 स्टार्ट-अप नीति-2020 के अन्तर्गत अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित नीति कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) की दिनांक 26.08.2021 को आयोजित बैठक में आपके उपरोक्त विषयक प्रस्ताव पर प्राप्त अनुमोदन के कम में इन्क्यूबेटर की स्थापना हेतु आपके संस्थान को स्वीकृत वित्तीय प्रोत्साहनों एवं तत्सम्बन्धी नियमों एवं शर्तों से निम्नवत् अवगत कराया जाता है:-

नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन की अनुमन्यता	पी.आई.यू. द्वारा स्वीकृत धनराशि
i. Capital grant (i) पूँजीगत अनुदान Capital grant on setting up/scaling up technology infrastructure for the private host institutes shall be reimbursed upto 50 percent of the eligible amount subject to maximum limit of INR One (1) Crore, first installment to be capped at 25 percent of the maximum limit. The demand for the same shall be raised on quarterly basis by incubators. The limit of INR 1 crore shall be increased to INR 1.25 crore for incubators established in Purvanchal/Bundelkhand regions. Capital grant to government host institutes shall be given in exceptional cases only post approval by PMIC. However, despite not getting the capital support, government incubators will continue to act as first point of contact for startups on behalf of Startup Nodal Agency. निजी मेजबान संस्थानों को प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना/क्षमता विस्तार के लिए रु एक (1) करोड़ की अधिकतम सीमा के अधीन, पात्र राशि के 50 प्रतिशत तक पूँजीगत अनुदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी, एवं प्रथम किश्त अधिकतम सीमा के 25 प्रतिशत तक होगी। इसकी मांग इन्क्यूबेटर द्वारा त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी। पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में स्थापित इन्क्यूबेटर्स के लिए रु 1 करोड़ की सीमा बढ़कर रु 1.25 करोड़ हो जायेगी। अपवादस्वरूप मामलों में शासकीय मेजबान संस्थानों को पूँजीगत अनुदान केवल पीएमआईसी के अनुमोदन से प्रदान किया जाएगा। तथापि पूँजीगत सहायता नहीं प्राप्त होने के बावजूद शासकीय इन्क्यूबेटर्स, स्टार्टअप नोडल एजेंसी की ओर से स्टार्टअप से प्रथम सम्पर्क बिन्दु के रूप में कार्य करते रहेंगे।	शासकीय मेजबान संस्थान होने के कारण पूँजीगत सहायता अनुमन्य नहीं है।
ii. Operational Expenditure (ii) परिचालन व्यय Financial support to incubators upto INR 30 Lakhs per year to cover operational expenditure for 5 years or until self-sustainable whichever is earlier. This incentive shall be granted to those incubators which have 10 or more startups incubated. The year-on-year continuation of operational expenditure support shall be solely dependent on incubator's performance assessed through Incubator Performance Evaluation Framework released by Nodal Agency and approved by PMIC. इन्क्यूबेटर्स को परिचालन व्ययों की पूर्ति हेतु 05 वर्ष की अवधि अथवा स्व-निर्भर होने तक, जो भी पहले हो, अधिकतम रु 30 लाख प्रतिवर्ष तक की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी। यह प्रोत्साहन उन इन्क्यूबेटर्स को दिया जायेगा जिनके पास 10 अथवा अधिक स्टार्टअप इन्क्यूबेटर्स हैं। वर्ष-प्रति-वर्ष परिचालन व्यय सहायता की निरन्तरता, पूर्णतः इन्क्यूबेटर के कार्य-प्रदर्शन पर निर्भर करेगी जिसका मूल्यांकन नोडल एजेंसी द्वारा जारी और पीएमआईसी द्वारा अनुमोदित इन्क्यूबेटर कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जायेगा।	कुल रु 1.50 करोड़ 30.00 लाख प्रतिवर्ष की सीमा तक अधिकतम 05 वर्ष की अवधि अथवा स्व-निर्भर होने तक (नीति की समय अवधि के अन्तराल ही वित्तीय प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे)

2. यह स्वीकृति उ0प्र0 स्टार्टअप नीति-2020 एवं तत्सम्बन्धित शासनादेशों में उल्लिखित अन्य नियमों एवं शर्तों के अधीन है। इसके अतिरिक्त आपके संस्थान द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किये जाने की भी अनिवार्यता होगी:-

- 1 उ0प्र0 स्टार्टअप नीति के अन्तर्गत प्रदत्त मान्यता, नोडल संस्था द्वारा समय-समय पर निर्धारित वार्षिक कार्य-प्रदर्शन मानकों को पूर्ण करने के प्रतिबन्ध के साथ, नीति-अवधि की काल-अवधि के लिए है।
- 2 इन्क्यूबेटर को अपने मेजबान संस्थान से पृथक लेखा-पुस्तकें रखना होगा ताकि अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान/सहायता से ओवरलैप न हो।
- 3 परिचालन व्यय अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए इन्क्यूबेटर को संवर्द्धन तथा आन्तरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार (DPIIT, Govt of India) में पंजीकृत न्यूनतम 10 स्टार्टअप्स को सतत रूप से इन्क्यूबेट किया जाना अनिवार्य होगा।
- 4 इन्क्यूबेटर द्वारा 25 प्रतिशत इन्क्यूबेटर सीट्स महिलाओं द्वारा स्थापित/सह-स्थापित स्टार्टअप्स को प्राथमिकता पर दिये जाने हेतु आरक्षित किया जाना आवश्यक होगा।
- 5 इन्क्यूबेटर द्वारा इन्क्यूबेटर के प्रवेशद्वार तथा साथ ही साथ अन्य ब्रॉण्डिंग एवं प्रचारात्मक सामग्री पर "स्टार्ट-इन-यूपी" लोगो प्रदर्शित किया जाना आवश्यक होगा। परिसर में स्थापित इन्क्यूबेटर में प्रवेश एवं प्रतिभाग हेतु छात्रों के बीच व्यापक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए इन्क्यूबेटर द्वारा कार्यदायी संस्था के परामर्श एवं सहयोग से विपणन और जागरूकता अभियान चलाये जायेंगे।
- 6 पूंजीगत अनुदान की अनुमन्यता केवल निजी मेजबान संस्थानों द्वारा संचालित इन्क्यूबेटर्स के लिए है।
- 7 पूंजीगत अनुदान का संवितरण कुल अनुमोदित पूंजीगत व्ययों के अधीन वास्तविक व्ययों के 50 प्रतिशत की सीमा तक प्रतिपूर्ति के रूप में किया जाएगा। संस्थान द्वारा वास्तविक व्यय किये जाने के उपरान्त एवं व्ययों के विवरण/अभिलेख कार्यदायी संस्था-यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- 8 परिचालन व्यय (व्यय - राजस्व = परिचालन व्यय) की पूर्ति हेतु आवर्तक और गैर-आवर्तक व्ययों का निर्धारण अलग-अलग मदों के अन्तर्गत किया जायेगा। परिचालन व्यय सहायता की साल-दर-साल निरन्तरता पूर्णतः इन्क्यूबेटर के वार्षिक कार्य-प्रदर्शन पर निर्भर होगी जिसका आकलन नोडल संस्था द्वारा निर्गत इन्क्यूबेटर परफार्मेंस इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जाएगा।
- 9 इन्क्यूबेटर द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वर्ष के आरम्भ में, महालेखापरीक्षक से सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित, अनुमानित आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- 10 व्ययों का सत्यापन कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से भी कराया जा सकता है। अवमुक्त धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा सम्परीक्षित वित्तीय विवरणों को संस्थान द्वारा नोडल संस्था को उपलब्ध कराया जाना होगा।
- 11 इन्क्यूबेटर द्वारा व्ययों की अनुमोदित अधिकतम सीमा तक, आवर्तक व्ययों की प्रतिपूर्ति की माँग त्रैमासिक आधार पर तथा गैर-आवर्तक व्ययों की प्रतिपूर्ति की माँग आवश्यकता उत्पन्न होने पर की जा सकती है।
- 12 इस स्वीकृति-पत्र के निर्गमन उपरान्त इन्क्यूबेशन के स्थान, इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेन्टर्स की संख्या, थ्रस्ट एरिया इत्यादि में किसी परिवर्तन की स्थिति में संस्थान द्वारा कार्यदायी संस्था को पूर्व-अवगत कराया जायेगा, जिसे आवश्यकता होने पर, नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। इन्क्यूबेटर द्वारा समय-समय पर अपने कार्यकलापों की प्रासंगिक सूचनायें यथा-निर्देशित समयावधि में कार्यदायी संस्था/नीति कार्यान्वयन इकाई को प्रस्तुत की जायेंगी।

3. उपरोक्त से सहमति की दशा में स्वीकृति-स्वरूप, इस पत्र की द्वितीय प्रति अपने हस्ताक्षर एवं मुहर सहित निगम को वापस करने का कष्ट करें तथा संस्थान से सम्बन्धित सूचना संलग्न प्रारूप में भरकर अपने हस्ताक्षर एवं संस्थान के मुहर सहित उपलब्ध करायें।

संलग्नक: यथा उपरोक्त

भवदीय

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

**उ0प्र0 स्टार्ट-अप नीति-2020 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त
इनक्यूबेटर में निरीक्षण के समय आवश्यक अभिलेखों की सूची**

क्र.सं.	विषय	विवरण	
1	इनक्यूबेटर/मेजबान संस्था का नाम		
2	इनक्यूबेटर के संचालक/C.E.O. का नाम, आधार कार्ड नॉ0 एवं प्रति		
3	सम्बन्धित शासकीय विभाग का नाम		
4	इनक्यूबेटर का डाक (Postal Address) पता		
5	इनक्यूबेटर प्रबन्धक का नाम और सम्पर्क विवरण		
6	इनक्यूबेटर का क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)/निर्मित भवन का क्षेत्रफल		
7	इनक्यूबेटर संचालन प्रारम्भ होने की तिथि		
8	इनक्यूबेटर में को-वर्किंग सीटों की संख्या		
9	इनक्यूबेटर द्वारा स्नातक (graduate) किये गये स्टार्टअप की संख्या तथा प्रमुख स्टार्ट-अप्स के नाम		
10	वीसी फण्डिंग का लाभ उठाने वाले स्टार्टअप का नाम (कृपया स्टार्ट-अप का नाम, फण्डिंग की तारीख और धनराशि का विवरण)		
11	वर्तमान में इनक्यूबेटेड स्टार्ट-अप की संख्या (कृपया स्टार्ट-अप का नाम और इनक्यूबेशन आरम्भ होने की तिथि प्रदान करें)		
12	क्या यह सभी स्टार्ट-अप्स भारत सरकार की संस्था DPIIT में पंजीकृत है। DPIIT में पंजीयन की तिथि		
13	क्या यह सभी स्टार्ट-अप्स उ0प्र0 के स्टार्ट-अप पोर्टल (www.upstartinup.up.gov.in) पर पंजीकृत है। पंजीयन की तिथि		
14	उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के अन्तर्गत मिलने वाले ग्राण्ट का लाभ उठाने वाले स्टार्टअप के नाम एवं लाभ की धनराशि		
15	भारत सरकार की किसी संस्था से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले स्टार्ट-अप्स के नाम एवं सहायता की धनराशि	विभाग का नाम	ग्राण्ट की धनराशि (रु)
16	इनक्यूबेटर में स्थापित/इनक्यूबेटेड स्टार्ट-अप्स को मेन्टर्स पूल द्वारा समय-समय पर उपलब्ध करायी गयी मेन्टरिंग का विवरण पृथक शीट पर, स्टार्ट-अप का नाम, मेन्टर का नाम तथा उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी Mentoring की तिथि, समय तथा अवधि (घण्टों में) का विवरण।		